

Sem - 4

MJC - 6.

आयकर में 'आय' शब्द को परिभाषित करें तथा इसके
मयों को स्पष्ट करें?

Define the term 'Income' in Income tax and
explain its items!

आयकर अधिनियम में आय से आशय किसी भी
व्यक्ति, फर्म, संस्थान को होने वाले उस आय का
प्राप्ति से है जो व्यवसाय, पेशा अथवा नौकरी करने
से प्राप्त होता हो। यह साधन नियमितता के साथ
निश्चित साधनों के माध्यम से प्राप्त होता हो।
ये निश्चित साधन पाँच प्रकार से हैं: -

1. वेतन से प्राप्त आय।
2. मकान सम्पत्ति से प्राप्त आय।
3. व्यवसाय अथवा पेशे से प्राप्त लाभ।
4. पूँजीगत साधनों से प्राप्त लाभ। तथा
5. अन्य साधनों से प्राप्त आय।

आयकर अधिनियम के द्वारा 2(24) के
अन्तर्गत निम्नलिखित आयों को आय की श्रेणी
में शामिल की जाती है: -

1. व्यवसाय से प्राप्त होने वाला आय।
2. लाभांश से प्राप्त आय।
3. निम्नलिखित से प्राप्त स्वीटिडिबल अंशदान

- a. धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए पूर्ण या आंशिक रूप से बनाया गया स्कूल, ट्रस्ट, संस्थान, या
 - b. शोध संच, या
 - c. विश्वविद्यालय और अन्य शैक्षणिक संस्थान, या
 - d. अस्पताल और अन्य चिकित्सा संस्थान, या
 - e. चुनावी ट्रस्ट।
4. धारा 17(2)/(3) के तहत कर योग्य वेतन के बदले किसी अनुलाभ या लाभ या मूल्य।
 5. उपरोक्त में सम्मिलित किसी अनुलाभ के अतिरिक्त कोई विशेष भत्ता या लाभ।
 6. करदाता को व्यक्तिगत स्वयं को पूरा करने के लिए दिया गया भत्ता।
 7. किसी भी दायित्व की पूर्ति के संबंध में निचोड़ा से प्राप्त लाभ या अनुलाभ चाहे वह धन परिवर्तनीय हो या न हो।
 8. म्युचुअल बीमा कम्पनी या सहकारी समिति द्वारा चलाए जा रहे किसी भी बीमा व्यवसाय का लाभ।
 9. स्कूल सहकारी समिति द्वारा अपने सदस्यों के साथ चलाए जा रहे बैंकिंग व्यवसाय का लाभ।
 10. लॉटरी, बर्ग पट्टेरी, टुट्टो, जुआ से प्राप्त आय।
 11. भविष्यनिधि, बीमा निगम, कर्मचारी कल्याण कोष आदि से प्राप्त आय।
 12. केंद्र सरकार, राज्य सरकार या अन्य किसी प्राधिकार से प्राप्त करदाता अनुदान या गैरद प्रोत्साहन कि प्राप्ति शक्ति आदि।

— X —